उत्तरांचल शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्याः- /09/VI/2006-3(60)2005
देहरादूनःदिनांक 28 जनवरी, 2006

कार्यालय ज्ञाप

राज्य में पर्यटन को प्राथमिकता क्षेत्र का उद्योग माना गया है। राज्य के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन एवं सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यटन व्यवसाय मुख्य रूप से निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है। इस दृष्टि से राज्य की पर्यटन नीति में निजी निवेश आकर्षित करने को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राज्य गठन के उपरान्त पर्यटन व्यवसाय में उल्लेखनीय निजी निवेश प्राप्त हुआ है। इसे और अधिक बढ़ाये जाने, पर्यटन उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण, उनसे सतत संवाद एवं नई पर्यटन इकाईयों की स्थापना हेतु समयबद्ध कार्यवाही किये जाने की दृष्टि से राज्य के प्रत्येक जनपद में निम्नानुसार जनपद पर्यटन मित्र का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4.	वाणिज्य कर विभाग का जनपद का वरिष्ठतम अधिकारी(नोडल अधिकारी)	सदस्य
5.	विद्युत विभाग का जनपद का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
6.	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(जनपदीय प्रतिनिधि)	सदस्य
7.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
8.	जनपद मुख्यालय के अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
9.	अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम	सदस्य
10.	विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय के वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
11.	जिले के वरिष्ठतम प्रभागीय, वनाधिकारी	सदस्य
13.	होटल एशोसिएशन के पदाधिकारी	सदस्य
14.	अग्रणी बैंक अधिकारी	सदस्य
15.	नियत प्राधिकारी,खाद्य निरीक्षक,मनोरंजनकर अधिकारी,नगर पालिका/नगर निगम के अधिशासी अधिकारी एवं अन्य अपेक्षित अधिकारी आवश्यकतानुसार	सदस्य
16.	जिला पर्यटन विकास अधिकारी	सदस्य सचिव

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी विषय विशेषज्ञ, उद्यमी अथवा जनप्रतिनिधि आदि को जिलाधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार इस संगठन की बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है।

2- जनपद स्तरीय पर्यटन मित्र द्वारा अपनी बैठकों में निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी:-

1- जनपद स्तर पर नयी पर्यटन इकाईयों हेतु प्राप्त प्रस्तावों की विभिन्न स्वीकृति/अनापत्तियों/प्रमाण पत्रों को निर्धारित समयसीमा अथवा समयबद्ध आधार पर विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा जारी किये जाने की समीक्षा तथा इस कार्य के लिये एकल खिड़की व्यवस्था के रूप में कार्य करना।

2– पर्यटकों एवं पर्यटन उद्यमियों की सुरक्षा सहयोग एवं सद्व्यवहार एवं शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किये जाने हेतु विभिन्न विभागों/संस्थाओं से समन्वय।

3– पर्यटन उद्यमियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने तथा उनके व्यवसायिक समस्याओं के साथ–साथ उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के निदान हेतु सम्यक कार्यवाही करना।

4– वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को इकाई स्थापना तथा उसके उपरान्त आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करना, इस योजना की प्रगति की समीक्षा करना तथा सफल उद्यमियों का अभिलेखन कर उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद को उपलब्ध कराना।

5– जिन विषयों पर जनपद पर्यटन मित्र स्तर पर कार्यवाही संभव न हो अथवा जिन विषयों पर नीतिगत निर्णय लिये जाने की आवश्यकता हो उनसे सम्बन्धित विस्तृत विवरण उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद को संदर्भित करना।

6– पर्यटन व्यवसाय से सम्बन्धित इकाईयों की स्थापना तथा स्थापित उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं को प्रोएक्टिव रोल अदा करने के लिये प्रेरित करना।

3– जनपद स्तरीय पर्यटन मित्र का सदस्य सचिव सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी होगा एवं इस रूप में वह नई पर्यटन इकाईयों की विभिन्न समस्याओं/स्वीकृतियों के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों को संकलित कर एक पंजिका में दर्ज करेगा तथा उनमें किन विभागों/संस्थाओं की भूमिका है तथा अन्य विवरण सहित जनपद स्तरीय पर्यटन मित्र की बैठक में प्रस्तुत करेगा।

4– पर्यटकों से प्राप्त फीडबैक, किसी स्थान विशेष में पर्यटकों हो रही परेशानियों तथा ऐसी ही अन्य समस्याओं का विवरण इस बैठक में प्रस्तुत करेगा। पर्यटन मित्र के लिये इंगित उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित विवरण बैठक में प्रस्तुत करेगा तथा बैठक में लिये गये निर्णय को कार्यवृत्त के रूप में पंजिका में संकलित करेगा। प्रत्येक बैठक का विवरण विलम्बतम 10 दिन में उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद को उपलब्ध करायेगा। नीति विषयक अथवा राज्य स्तर पर निर्णीत होने वाले विषय होंगे उनके संबंध में इस बैठक में पारित प्रस्ताव के साथ समस्त औचित्यपूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद को उपलब्ध करायेगा।

5– राज्य में पर्यटन व्यवसाय में निवेश की सम्भावनाओं एवं वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अधीन स्थापित होने वाली इकाईयों के दृष्टिगत माह में न्यूनतम एक बार जनपद पर्यटन मित्र की बैठक अवश्य आयोजित की जाएगी। जनपद स्तरीय पर्यटन मित्र की बैठकें जिलाधिकारी अपनी सुविधानुसार जिला उद्योग मित्र के साथ ही आमंत्रित कर सकते हैं, जिससे अधिकारियों के समय व श्रम की बचत हो सकेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार जनपद स्तरीय पर्यटन मित्र के गठन एवं संचालन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या:– /VI/2006–3(60)2005, तददिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।

2– निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उत्तरांचल।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
5– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7– समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
8– प्रदेश के प्रमुख ट्रैवल ट्रेड संघ/होटल एसोसिएशन (उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के माध्यम से)।
9– निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर को उत्तरांचल पर्यटन वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

27/1/06

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव